16 ... प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 15/6/16 को पेश हो।

15/6/16 पत्रावली कैम्प कोर्ट पटल आहोर में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी की ओर से उपस्थित व्यक्तियों का [illegible] प्रतिवादीगण ने बताया कि उन्होंने कभी वादीगण का रास्ता नहीं रोका है वादीगण सुगमतापूर्वक आते जाते रहते हैं प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] ही प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा करने बाबत स्वीकार किया जाता है कि वादीगण अपनी आबादी [illegible] में [illegible] प्रतिवादीगण का [illegible] में अतिक्रमण [illegible] जाता है प्रतिवादीगण [illegible] पालना [illegible] नहीं करेंगे। [illegible] पत्रावली [illegible] की जावे। [illegible] कैम्प कोर्ट [illegible]

कमला देवी

बा.नि.

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

[न्या]यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) [illegible]

[पीठास]ीन अधिकारी :– बलवन्त सिंह [illegible] RAS

उनवान

राजेश्वर उर्फ रमेशचन्द बनाम त्रिलोक सिंह वगैरा

दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी U/S 188 RT Act -1955

मुकदमा नम्बर :– 27/02-03-2015

निर्णय दिनांक :– 16-06-2016

वादी की ओर से हरीश कुमार वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से त्रिलोक सिंह वगैरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-06-2016 को बलवन्त सिंह [illegible] (नाम पीठासीन अधिकारी)...., उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – खा.न. 69/1/1-00 69/2 8-10 बीघा वाके ग्राम [illegible] कुल किता-2 [illegible] कोटकासिम जिला अलवर राज. [illegible] रकबा 9-10 बीघा वाके ग्राम [illegible] तहसील कोटकासिम [illegible] प्रतिवादीगण हुक्म इम्तनाई दवामी [illegible] पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया जाता है तो [illegible] हटा लेंगे। मदाखलत [illegible] नहीं करेंगे। [illegible] जबरन कब्जा नहीं करेंगे। [illegible] यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली [illegible] नहीं करे। [illegible] डिक्री [illegible] हो कर बाद तकमील शामिल दाखिल दफ्तर की जावे। [illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्त सिंह [illegible])
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम